

पत्रांक : 4848/आयु0क0उत्तरा0/विधि-अनुभाग/10-11/देहरादून

कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड

(विधि-अनुभाग)

देहरादून: दिनांक 22 फरवरी 2011

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)वाणिज्य कर  
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर,वाणिज्य कर

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के पत्र सं0-34/XXXVII(3)/2011/52/(1)/2011/दिनांक 15.2.2011 द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना सं0 331/XXXVII(3)/2010/52(1) /2010/दिनांक-06 अक्टूबर 2010 के अंग्रेजी रूपान्तरण में धारा 48 का संशोधन पार्श्व शीर्षक सहित उपबन्ध त्रुटिवश प्रकाशित हो जाने के कारण इस अंग्रेजी रूपान्तरण से विलोपित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। (छायाप्रति संलग्न)

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी उक्त शुद्धिपत्र की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासन के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(ए0के0मुप्ता)


एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर  
मुख्यालय,देहरादून।

पृ0प0सं0 4848/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रानगर, देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन, रुद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर(आडिट/प्रवर्तन)वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
5. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. ज्वाइंट कमिश्नर(अपील)वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
7. ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
9. श्री राकेश वर्मा, महासचिव उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ वाणिज्य कर कार्यालय रुड़की।

- 10.संख्या-अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 11.इन्टावैट ईन्फो प्रा0लि04, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13,आर0सिधुआ मार्ग मुम्बई-400001।
- 12.नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड,गाजियाबाद।
- 13.नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
14. डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्याय0कार्य0)वाणिज्य कर,नैनीताल।
- 15.स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई-233,शास्त्री नगर,गाजियाबाद,-201002
- 16.अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 17.दी होलसेल डीलर्स एसो0 14,आढ़त बाजार देहरादून।
- 18.प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो0 222/5 गाँधी ग्राम,देहरादून।
- 19.कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 20.विधि-अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 21.शोध-अनुभाग मुख्यालय हेतु।

  
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर  
मुख्यालय,देहरादून।

Speed post

उत्तराखण्ड शासन  
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग  
संख्या:- 34/XXXVI(3)/2011/52(1)/2011  
देहरादून: दिनांक: 15 फरवरी, 2011

अधिसूचना / शुद्धिपत्र

राज्यपाल, शासन की अधिसूचना संख्या 331/XXXVI(3)/2010/52(1)/2010, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 के अंग्रेजी रूपान्तरण में धारा 48 का संशोधन पार्श्व शीर्षक सहित उपबन्ध त्रुटिवश प्रकाशित हो जाने के कारण इसे अंग्रेजी रूपान्तरण से विलोपित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राम सिंह)  
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 34/XXXVI(3)/2011/52(1)/2011/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 08/विधायी अनुभाग में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाईल हेतु/एन0आई0सी0।

हस्ताक्षर

10032  
10030  
23-2-2011

22/02/2011

(राम सिंह)  
प्रमुख सचिव।